(14)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक पीबीआर/अपील/रायसेन/भू.रा./2017/1988 विरूद्ध आदेश दिनांक 22.05.2017 पारित द्वारा आयुक्त भोपाल संभाग, भोपाल अपील प्र. क्रमांक 8/अपील/16-17.

नेपाल सिंह आयु 50 वर्ष आत्मज श्री टन्टूलाल
जाति गौड़ (आदिवासी)
कृषक निवासी- ग्राम चौरा-कमरोरा
तहसील बाड़ी, जिला रायसेन, म.प्र. .....अपीलार्थी

विरूद्ध

1. म.प्र. शासन
   द्वारा कलेक्टर जिला रायसेन म.प्र.
2. आयुक्त, भोपाल, संभाग भोपाल .....प्रत्यर्थीगण

श्री गुलाब सिंह चौहान, अभिभाषक, अपीलार्थी

-:: आ दे श ::

(आज दिनांक 11/8/18 को पारित)

अपीलार्थी द्वारा यह अपील म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 44 के अंतर्गत आयुक्त भोपाल संभाग, भोपाल द्वारा पारित दिनांक 22.05.2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी द्वारा कलेक्टर, जिला रायसेन के समक्ष संहिता की धारा 165(6) के अंतर्गत इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि उसके नाम ग्राम चौरा-कमरोरा में रकबा 17.17 एकड़ भूमि ग्राम मंडवा महगवां में रकबा 3 एकड़ एवं ग्राम खोहा में खसरा नम्बर 2/25 रकबा 5.60 एकड़ कुल रकबा 25.77 एकड़ भूमि है। अपीलार्थी द्वारा खसरा क्रमांक 2125 रकबा 5.60 एकड़ भूमि वर्ष 2000 में क्रय की गई है। अपीलार्थी इसी भूमि को विक्रय करना चाहता है। अतः उक्त भूमि के विक्रय की अनुमति प्रदान की जाये। कलेक्टर द्वारा प्रकरण क्रमांक 28/अ-21/2014-15 दर्ज कर अनुविभागीय अधिकारी से प्रतिवेदन लिया गया एवं दिनांक 08.08.2016 को अपीलार्थी का आवेदन पत्र निरस्त किया

गया। कलेक्टर के आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील आयुक्त भोपाल, संभाग भोपाल के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर आयुक्त द्वारा दिनांक 22.05.2017 को आदेश पारित कर अपील निरस्त की गई। आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह द्वितीय अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा संहिता की धारा 165(6)(1) के प्रावधानों को समझे बिना आदेश पारित किया गया है, जो निरस्त किये जाने योग्य है। यह भी गहा गया कि कलेक्टर द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत साक्ष्य एवं तहसील न्यायालय एवं अनुविभागीय अधिकारी द्वारा जांच उपरांत की गई अनुशंसा को विचार में न लेते हुए, जो आदेश पारित किया गया है, वह निरस्त किये जाने योग्य है । तर्क में यह भी कहा गया कि अपीलार्थी के पास 25.77 एकड़ भूमि है, जिसमें से अपीलार्थी केवल 5.60 एकड़ भूमि विक्रय कर, कर्ज अदा करना चाहता है और प्रश्नाधीन भूमि विक्रय करने के उपरांत भी अपीलार्थी के पास 20.17 एकड़ भूमि शेष बचेगी। यह तर्क भी प्रस्तुत किया गया कि अधीनस्थ न्यायालयों में उनके समक्ष अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये तथ्यों एवं वैधानिक बिन्दुओं पर विचार एवं निष्कर्ष किये बगैर तर्कविहीन आदेश पारित किया गया है, जो निरस्त किये जाने योग्य है। यह भी कहा गया कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा अपीलार्थी की स्थिति को नजरअंदाज करते हुए, जो आदेश पारित किया गया है, वह बोलता हुआ न्यायिक आदेश न होकर मात्र प्रशासनिक आदेश होने से निरस्त किये जाने योग्य है। उनके द्वारा अपील स्वीकार की जाकर आयुक्त एवं कलेक्टर का आदेश निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।

4/ अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अभिलेख से स्पष्ट है कि अपीलार्थी के स्वामित्व में कुल 25.77 एकड़ सिंचित भूमि है, जिसमें से उसके द्वारा कर्ज अदायगी के लिए रकबा 5.60 एकड़ विक्रय की अनुमति चाही गई है, जबकि अपीलार्थी भूमि की उपज से भी कर्ज का भुगतान कर सकता है । स्पष्ट है कि अपीलार्थी के पास भूमि विक्रय के अलावा भी अन्य विकल्प मौजूद हैं, इसलिए अपीलार्थी आदिवासी कृषक की भूमि, गैर आदिवासी को विक्रय की अनुमति दिया जाना उचित नहीं है । इस सम्बन्ध में कलेक्टर द्वारा विवेचना उपरांत स्पष्ट निष्कर्ष निकालते हुए संहिता के प्रावधानों के अनुरूप विधिसंगत आदेश पारित कर, अपीलार्थी का आवेदन पत्र निरस्त किया गया है और कलेक्टर के आदेश को उचित पाते हुए आयुक्त द्वारा भी स्थिर रखा गया है । इस प्रकार दोनों

अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष हैं । इस सम्बन्ध में 1998 आर.एन. 319 भवानी विरूद्ध लेखराज तथा अन्य में निम्नलिखित न्यायिक सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है:-

> ''धारा 44 (2)-तथ्यों के निष्कर्ष दो न्यायालयों द्वारा एक ही-कोई विपर्यास दर्शित नहीं-द्वितीय अपील में हस्तक्षेप अनुज्ञेय नहीं ।''

उपरोक्त विश्लेषण एवं प्रतिपादित न्याय दृष्टान्त के प्रकाश में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेश वैधानिक एवं उचित होने से स्थिर रखे जाने योग्य हैं ।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर आयुक्त भोपाल संभाग, भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.05.2017 स्थिर रखा जाता है । अपील निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर